

# नागरिक/ग्राहक चार्टर

# केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार

7वां तल, पं॰ दीनदयाल अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन), सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003. http://www.chti.rajbhasha.gov.in

#### स्थापना

## केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना

- संवैधानिक उपबंधों के अनुपालन में केंद्रीय सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य सर्वप्रथम शिक्षा मंत्रालय द्वारा ज्लाई, 1952 में प्रारम्भ किया गया।
- राष्ट्रपित द्वारा गृह मंत्री को संबोधित 12 जून, 1955 के पत्र में दिए गए सुझावों पर कार्रवाई के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार अक्तूबर, 1955 से गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कार्यालय समय में हिंदी कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं।
- सन 1974 से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उसके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया ।
- नए भर्ती कार्मिकों को सरकारी सेवा में आते ही हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन तथा हिंदी आशुलिपि का सेवाकालीन गहन प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सन 1985 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई।

#### विजन

केंद्र सरकार तथा इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमों, सांविधिक निकायों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के हिंदी न जानने वाले सभी कार्मिकों को हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन (कंप्यूटर)/ हिंदी टंकण (मैनुअल)/ तथा हिंदी आशुलिपि में दक्षता प्रदान करना, जिससे संविधान के प्रावधानों के अनुपालन में सभी शासकीय कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित किए जा सकें।

### मिशन

- केंद्र सरकार एवं इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निकायों, निगमों एवं बैंकों के उन कार्मिकों को, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उन्हें वर्ष 2015 तक हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन (कंप्यूटर)/ हिंदी टंकण (मैनुअल) एवं हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित करना ।
- 2. कार्मिकों की हिंदी में कार्य करने की झिझक को दूर करने के लिए 5 पूर्ण कार्यदिवसीय कार्यशालाएं आयोजित करना ।
- प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को शिक्षण की अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के लिए
   पूर्ण कार्यदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- 4. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा, हिंदी अधिकारियों एवं अनुवादकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- 5. राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के उप निदेशकों, सहायक निदेशकों, हिंदी प्राध्यापकों एवं लिपिक वर्गीय कार्मिकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

- 6. उच्च अधिकारियों तथा उप सचिव, निदेशक आदि को राजभाषा नीति और सांविधिक व्यवस्था आदि की अद्यतन जानकारी से अवगत कराना।
- भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों की, जो संयुक्त सचिव स्तर के होते हैं, संगोष्ठियाँ आयोजित करना।
- 8. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों के लिए दो-दो, तीन-तीन दिन के सेमिनार आयोजित करना।
- 9. राजभाषा विभाग द्वारा विकसित कराए गए हिंदी के विभिन्न आई0टी0 सॉफ्टवेयरों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।

# नागरिक/ग्राहक चार्टर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार

7वां तल, पं॰ दीनदयाल अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन), सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.

# हमारी प्रतिबद्धताएं

<b>東</b> 0	हमारी सेवाएँ एवं कार्य विवरण	इस क्षेत्र में अपने कार्य निष्पादन का	हमारी सेवाओं का
सं0		आकलन हम कैसे करते हैं	मापदंड
1	हिंदी भाषा प्रशिक्षण	(i) मामला यदि स्थापित नीति के	15 दिन
	(प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत)	संदर्भ में है।	
	संबंधी नीतिगत मामले	(ii) मामले पर यदि मंत्रालय से	30 दिन
		परामर्श की आवश्यकता है तो	
		(iii) मामला यदि क्षेत्रीय कार्यालय से	30 दिन
		संबंधित है तो	
2	हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण	(i) मामला यदि स्थापित नीति के	15 दिन
	तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण	संदर्भ में है।	0
	संबंधी नीतिगत मामले	(ii) मामले पर यदि मंत्रालय से	30 दिन
		परामर्श की आवश्यकता है तो	
		(iii) मामला यदि क्षेत्रीय कार्यालय से	
		संबंधित है तो	30 दिन
3	(i) प्रशासन तथा लेखा संबंधी	स्पष्टीकरण भेजने हेत् पत्र की प्राप्ति	15 दिन
	मामले	की तिथि से औसत समय	
	(ii) कर्मचारियों से शिकायत		
	संबंधी मामले	मामला जिसकी सूचना केंद्रीय हिंदी	15 दिन
	(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं के	प्रशिक्षण संस्थान में है	
	सप्लायरों की शिकायतें	मामला यदि क्षेत्रीय कार्यालयों से	
		मंबंधित है तो	30 दिन
		साधात ६ ता	
4	l. कंप्यूटर प्रशिक्षण	स्पष्टीकरण भेजने हेत् पत्र की प्राप्ति	15 दिन
	• •	की तिथि से औसत समय	
	II. वेबसाइट पर केंद्रीय हिंदी		
	प्रशिक्षण संस्थान संबंधी		

	सूचनाओं के	अपडेट
	संबंधित मामले	
III.	Intrachti संबंधी	मामले

# नागरिक/ग्राहक चार्टर

क्र0	सेवाएँ	सेवा निष्पादन मानक	उत्तरदायी अधिकारी का संपर्क विवरण	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज
सं0					
1.	(i) प्रशासन संबंधी मामले (ii)कर्मचारियों से संबंधित शिकायतें (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं के सप्लायरों की शिकायतें	15 दिन क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित हो तो 30 दिन	श्री राम निवास, प्रशासनिक अधिकारी टेलीफैक्स-011-24365089 ई-मेल- admoffrchti-dol@nic.in	आवश्यकतानुसार संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके संगत उपबंधों के संदर्भ में प्राप्त अनुरोध की जांच करना। मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्टीकरण / सुझावों के लिए किए गए अनुरोध पर विचार किया जाएगा।	स्पष्टीकरण चाहिए, उसके विशिष्ट विवरण
2.	(i) लेखा संबंधी मामले	15 दिन क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित हो तो 30 दिन		आवश्यकतानुसार संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके संगत उपबंधों के संदर्भ में प्राप्त अनुरोध की जांच करना। मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्टीकरण / सुझावों के लिए किए गए अनुरोध पर विचार किया जाएगा।	जिस संबंध में स्पष्टीकरण चाहिए, उसके विशिष्ट विवरण
3.	हिंदी भाषा (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत)	5 माह प्रत्येक वर्ष	परिपत्र के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र पर तैनात हिंदी प्राध्यापक	ये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिसके लिए यथा- समय परिपत्र जारी किए जाते	

	(दीर्घकालीन प्रशिक्षण)	जनवरी से मई		तथा	हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय पत्र या ई-	उसके विशिष्ट विवरण
		तथा		क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक	मेल द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण	सहित सादे कागज पर
		जुलाई से नवंबर		् (मध्योत्तर/पूर्व/दक्षिण/ पश्चिम/पूर्वोत्तर),	केंद्रों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने	अन्रोध किया जा
				जैसा लागू हो।	कर्मचारियों का नामांकन भेज सकते हैं।	सकता है और सभी
				•	इन कर्मचारियों को निर्धारित अवधि में	संगत दस्तावेजों की
				टिप्पणी	प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के	प्रतियों के साथ
				क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशकों के	अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाता	स्झाव, यदि कोई हों,
				क्षेत्राधिकार व उनके संपर्क के पते,	है। जिसका परिणाम राजभाषा विभाग की	
				दूरभाष आदि के लिए अंतिम पृष्ठ पर दी	वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के साथ साथ	
				गई सूची का अवलोकन करें।	डाक द्वारा भी भेजा जाता है और प्रमाण	
					पत्र भी दिए जाते हैं ।	
					_	
					परीक्षा शुल्क	
					केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए	
					निशुल्क तथा केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन	
					बैंकों/ उपक्रमों/निगमों/ निकायों आदि के	
					कार्मिकों से परीक्षा शुल्क रु० 100/- प्रति	
	0.0				परीक्षा लिया जाता है ।	
4.	हिंदी भाषा अल्पकालिक गहन		पूर्ण	परिपत्र के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र पर	ये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिसके	
	प्रशिक्षण	कार्यदिवस		तैनात सहायक निदेशक (भाषा)	लिए यथा समय परिपत्र जारी किए जाते	· ·
			पूर्ण		हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय पत्र या ई-	
		कार्यदिवस		तथा	मेल द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण	·
			पूर्ण	क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक	केंद्रों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने	3
		कार्यदिवस		(मध्योत्तर/पूर्व/दक्षिण/ पश्चिम/पूर्वोत्तर),	कर्मचारियों का नामांकन भेज सकते हैं।	,
		पारंगत-15 पूर्ण		जैसा लागू हो।	इन कर्मचारियों को निर्धारित अविधि में	' ' ' '
		कार्यदिवस		जारा। सान् हा।	प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के	प्रतियों के साथ
				टिप्पणी	अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाता	सुझाव, यदि कोई हों,
				क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशकों के	है। जिसका परिणाम राजभाषा विभाग की	

			क्षेत्राधिकार व उनके संपर्क के पते, दूरभाष आदि के लिए अंतिम पृष्ठ पर दी गई सूची का अवलोकन करें।	वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के साथ साथ डाक द्वारा भी भेजा जाता है और प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं ।  परीक्षा शुल्क  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क तथा केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन बैंकों/ उपक्रमों/निगमों/ निकायों आदि के कार्मिकों से परीक्षा शुल्क रु0 100/- प्रति परीक्षा लिया जाता है ।	
5.	हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण (दीर्घकालीन प्रशिक्षण)	6 माह (प्रतिदिन एक घंटा) वर्ष में दो सत्र फरवरी- जुलाई तथा अगस्त -जनवरी	परिपत्र के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र पर तैनात सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) तथा संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/ क्षेत्रीय उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) अथवा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (मध्योत्तर/पूर्व/दक्षिण/ पश्चिम/पूर्वोत्तर) जैसा लागू हो।  टिप्पणी संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/ क्षेत्रीय उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/ क्षेत्रीय उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) अथवा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशकों के क्षेत्राधिकार व उनके संपर्क के पते, दूरभाष आदि के लिए अंतिम	ये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिसके लिए यथा समय परिपत्र जारी किए जाते हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय पत्र या ई-मेल द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण केंद्रों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने कर्मचारियों का नामांकन भेज सकते हैं। इन कर्मचारियों को निर्धारित अविध में प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जिसका परिणाम राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ डाक द्वारा भी भेजा जाता है और प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं।  परीक्षा शुक्क  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निश्क्त तथा केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन	जिस संबंध में स्पष्टीकरण चाहिए, उसके विशिष्ट विवरण सहित सादे कागज पर अनुरोध किया जा सकता है और सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ सुझाव, यदि कोई हों, तो दिए जा सकते हैं।

				* * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			पृष्ठ पर दी गई सूची का अवलोकन करें।	बैंकों/ उपक्रमों/निगमों/ निकायों आदि के	
				कार्मिकों से परीक्षा शुल्क रु0 100/- प्रति	
				परीक्षा लिया जाता है ।	
6.	हिंदी शब्द संसाधन/	अवधि- 40 पूर्ण	परिपत्र के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र पर	ये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिसके	जिस संबंध में
	हिंदी टंकण (अल्पकालिक	कार्यदिवस	तैनात सहायक निदेशक	लिए यथा समय परिपत्र जारी किए जाते	स्पष्टीकरण चाहिए,
	गहन प्रशिक्षण)	सत्र :- वर्ष में पाँच	(टंकण/आशुलिपि)	हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय पत्र या ई-	उसके विशिष्ट विवरण
				मेल द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण	सहित सादे कागज पर
			तथा	केंद्रों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने	अनुरोध किया जा
			<del></del>	कर्मचारियों का नामांकन भेज सकते हैं।	सकता है और सभी
			संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/	इन कर्मचारियों को निर्धारित अविध में	संगत दस्तावेजों की
			क्षेत्रीय उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)	प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के	प्रतियों के साथ
			अथवा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप	अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाता	सुझाव, यदि कोई हों,
			निदेशक (मध्योत्तर/पूर्व/दक्षिण/	है। जिसका परिणाम राजभाषा विभाग की	तो दिए जा सकते हैं।
			पश्चिम/पूर्वीत्तर) जैसा लागू हो।	वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के साथ साथ	
			टिप्पणी	डाक द्वारा भी भेजा जाता है और प्रमाण	
			संयुक्त निदेशक (टंकण/आश्लिपि)/	पत्र भी दिए जाते हैं।	
			क्षेत्रीय उप निदेशक (टंकण/आश्लिपि)		
			अथवा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप	परीक्षा शुल्क	
			निदेशकों के क्षेत्राधिकार व उनके संपर्क		
			के पते, दूरभाष आदि के लिए अंतिम	केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए	
			पृष्ठ पर दी गई सूची का अवलोकन करें।	निशुल्क तथा केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन	
			१० १८ वा गर रूपा गर अवसायका गरा	बैंकों/ उपक्रमों/निगमों/ निकायों आदि के	
				कार्मिकों से परीक्षा शुल्क रु० 100/- प्रति	
				परीक्षा लिया जाता है ।	
	हिंदी आशुलिपि	अवधि- 1 वर्ष	परिपत्र के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र पर	ये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिसके	
7.	(दीर्घकालिक प्रशिक्षण)	(प्रतिदिन एक घंटा)	तैनात सहायक निदेशक	लिए यथा समय परिपत्र जारी किए जाते	
		सत्र:-	(टंकण/आशुलिपि)	हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय पत्र या ई-	उसके विशिष्ट विवरण
		फरवरी- जनवरी		मेल द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण	सहित सादे कागज पर

			तथा संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/ क्षेत्रीय उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) अथवा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (मध्योत्तर/पूर्व/दक्षिण/ पश्चिम/पूर्वीत्तर) जैसा लागू हो।  टिप्पणी संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/ क्षेत्रीय उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/ अथवा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशकों के क्षेत्राधिकार व उनके संपर्क के पते, दूरभाष आदि के लिए अंतिम पृष्ठ पर दी गई सूची का अवलोकन करें।	कंद्रों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने कर्मचारियों का नामांकन भेज सकते हैं। इन कर्मचारियों को निर्धारित अविध में प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जिसका परिणाम राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के साथ साथ डाक द्वारा भी भेजा जाता है और प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं।  परीक्षा शुल्क  कंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क तथा केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन बैंकों/ उपक्रमों/निगमों/ निकायों आदि के कार्मिकों से परीक्षा शुल्क रु0 100/- प्रति परीक्षा लिया जाता है।	सकता है और सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ सुझाव, यदि कोई हों,
8.	हिंदी आशुलिपि (अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण)	80 पूर्ण कार्यदिवस सत्र :- वर्ष में दो	परिपत्र के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र पर तैनात सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) तथा संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/ क्षेत्रीय उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) अथवा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (मध्योत्तर/पूर्व/दक्षिण/ पश्चिम/पूर्वीत्तर) जैसा लागू हो।	ये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिसके लिए यथा समय परिपत्र जारी किए जाते हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय पत्र या ई-मेल द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण केंद्रों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने कर्मचारियों का नामांकन भेज सकते हैं। इन कर्मचारियों को निर्धारित अविध में प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जिसका परिणाम राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के साथ साथ	उसके विशिष्ट विवरण सहित सादे कागज पर

9.	हिंदी भाषा (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ) पत्राचार पाठ्यक्रम	1 वर्ष जुलाई से मई	िटपणी संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/ क्षेत्रीय उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) अथवा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशकों के क्षेत्राधिकार व उनके संपर्क के पते, दूरभाष आदि के लिए अंतिम पृष्ठ पर दी गई सूची का अवलोकन करें।  संबंधित सहायक निदेशक (भाषा) तथा  श्री एम-पी- दामोदरन उप निदेशक (भाषा) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-A पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली -110011 दूरभाष- 01123017203 ई-मेल- chti1155@nic.in	डाक द्वारा भी भेजा जाता है और प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं।  परीक्षा शुल्क  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क तथा केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन बैंकों/ उपक्रमों/निगमों/ निकायों आदि के कार्मिकों से परीक्षा शुल्क रु 100/- प्रति परीक्षा लिया जाता है।  ये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिसके लिए यथा समय परिपत्र जारी किए जाते हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय पत्र या ई-मेल द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण कर्मचारियों का नामांकन भेज सकते हैं। इन कर्मचारियों का नामांकन भेज सकते हैं। इन कर्मचारियों को निर्धारित अविध में प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जिसका परिणाम राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के साथ साथ डाक द्वारा भी भेजा जाता है और प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं।  परीक्षा शुल्क  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क तथा केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन बैंकों/ उपक्रमों/निगमों/ निकायों आदि के	जिस संबंध में स्पष्टीकरण चाहिए, उसके विशिष्ट विवरण सहित सादे कागज पर अनुरोध किया जा सकता है और सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ सुझाव, यदि कोई हों, तो दिए जा सकते हैं।
----	--	--------------------	---	--	---

				कार्मिकों से परीक्षा शुल्क रु० 100/- प्रति	
				परीक्षा लिया जाता है ।	
10.	हिंदी शब्द संसाधन/	06 माह	सुश्री पूनम ओसवाल	ये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिसके	जिस संबंध में
	हिंदी टंकण	सत्र: वर्ष में दो	संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि) एवं	लिए यथा समय परिपत्र जारी किए जाते	स्पष्टीकरण चाहिए,
	पत्राचार पाठ्यक्रम	फरवरी- जुलाई तथा	(हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण पत्राचार)	हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय पत्र या ई-	उसके विशिष्ट विवरण
		अगस्त - जनवरी	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान	मेल द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण	सहित सादे कागज पर
			2-A पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली -110011	केंद्रों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने	अन्रोध किया जा
			दूरभाष- 01123018196	कर्मचारियों का नामांकन भेज सकते हैं।	सकता है और सभी
			ईमेल-	इन कर्मचारियों को निर्धारित अविध में	संगत दस्तावेजों की
			jdchti-ts-dol@gov.in	प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के	प्रतियों के साथ
				अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाता	सुझाव, यदि कोई हों,
				है। जिसका परिणाम राजभाषा विभाग की	तो दिए जा सकते हैं।
				वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के साथ साथ	
				डाक द्वारा भी भेजा जाता है और प्रमाण	
				पत्र भी दिए जाते हैं।	
				परीक्षा शुल्क	
				केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए	
				निशुल्क तथा केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन	
				बैंकों/ उपक्रमों/निगमों/ निकायों आदि के	
				कार्मिकों से परीक्षा शुल्क रु0 100/- प्रति	
				परीक्षा लिया जाता है ।	
11.	(i) हिंदी	प्रत्येक प्रशिक्षण	श्रीमती कमलेश बजाज,	आवश्यकतान्सार संबंधित प्राधिकारियों के	जिस संबंध में
	भाषा(प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत)	कार्यक्रम की समाप्ति	उप निदेशक	साथ परामर्श करके संगत उपबंधों के संदर्भ	स्पष्टीकरण चाहिए,
	तथा हिंदी शब्द संसाधन)/	पर ।	हिंदी शिक्षण योजना राजभाषा विभाग, गृह	में प्राप्त अनुरोध की जांच करना। मौजूदा	उसके विशिष्ट विवरण
	हिंदी टंकण एवं हिंदी		मंत्रालय, लेवल-6, ईस्ट ब्लॉक-7, सेक्टर-1,	प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्टीकरण / सुझावों	
	आश्लिपि परीक्षा		आर.के.प्रम, नई दिल्ली-110066	के लिए किए गए अन्रोध पर विचार किया	
	<u> </u>	l	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

	(ii) परीक्षा परिणाम (iii) परीक्षा संबंधी मामले	परीक्षा समाप्ति से 45 दिन 15 दिन	दूरभाष- 01126175176 ईमेल- <u>ddhts-exam-dol@nic.in</u>	जाएगा।	सकता है और सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ सुझाव, यदि कोई हों, तो दिए जा सकते हैं।
12.	प्रशिक्षण संबंधी मामले	15 दिन	संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (भाषा)/ प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/ हिंदी प्राध्यापक तथा क्षेत्रीय उप निदेशक/क्षेत्रीय उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) (अंतिम पृष्ठ पर दी गई सूची में क्षेत्रवार)	आवश्यकतानुसार संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके संगत उपबंधों के संदर्भ में प्राप्त अनुरोध की जांच करना। मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्टीकरण / सुझावों के लिए किए गए अनुरोध पर विचार किया जाएगा।	स्पष्टीकरण चाहिए, उसके विशिष्ट विवरण सहित सादे कागज पर
13.	(i) भाषा प्रशिक्षण संबंधी नीतिगत मामले (iii) वार्षिक लक्ष्य निर्धारण संबंधी मामले	15 दिन यदि मामले में मंत्रालय की सलाह की आवश्यकता हो तो-30 दिन 15 दिन	श्री बंकट लाल शर्मा उप निदेशक (भाषा)/(मुख्यालय) टेलीफैक्स-011-24366794 ई-मेल- <u>adhqchti-dol@nic.in</u> <u>chti1153@nic.in</u>	आवश्यकतानुसार संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके संगत उपबंधों के संदर्भ में प्राप्त अनुरोध की जांच करना। मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्टीकरण / सुझावों के लिए किए गए अनुरोध पर विचार किया जाएगा।	स्पष्टीकरण चाहिए, उसके विशिष्ट विवरण सहित सादे कागज पर

14	. (i) हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी	15 दिन	श्री नरेन्द्र कुमार प्रसाद,	आवश्यकतान्सार संबंधित प्राधिकारियों के	जिस संबंध में
	टंकण एवं हिंदी आश्लिपि	यदि मामले में	सहायक निदेशक (टंकण/आश्लिपि)	साथ परामर्श करके संगत उपबंधों के संदर्भ	स्पष्टीकरण चाहिए,
	प्रशिक्षण संबंधी नीतिगत	मंत्रालय की सलाह की	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान	में प्राप्त अनुरोध की जांच करना। मौजूदा	उसके विशिष्ट विवरण
	मामले	आवश्यकता हो तो-30	दूरभाष-011-24366821	प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्टीकरण / सुझावों	सहित सादे कागज पर
		दिन	ई-मेल आई डी-	के लिए किए गए अनुरोध पर विचार किया	अनुरोध किया जा
			adratschti-dol@nic.in	जाएगा।	सकता है और सभी
	(ii) कंप्यूटर प्रशिक्षण संबंधी	15 दिन			संगत दस्तावेजों की
	मामले				प्रतियों के साथ
	(iii) वैबसाइट पर केंद्रीय हिंदी	15 दिन			सुझाव, यदि कोई हों,
	प्रशिक्षण संस्थान संबंधी				तो दिए जा सकते हैं।
	सूचनाओं की अपडेट				
	(iv) इंट्रा chti संबंधी मामले	15 दिन			

### शिकायतों का निवारण

सेवा मानकों के अनुपालन न होने की स्थिति में, सेवा प्राप्तकर्ता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं :-

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के अधिकारियों के नाम व कार्यालयों के पते केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,

7वां तल, पं॰ दीनदयाल अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन), सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.

क्रम	नाम व पदनाम	दूरभाष	दूरभाष/मोबाईल	ई-मेल आई डी
सं॰		कार्यालय	निवास	
1.	श्रीमती सुमन लाल प्रभारी निदेशक	011-24361852 फैक्स - 011- 24361852	9868105035	dirchti-dol@nic.in jdlang-chti-dol@nic.in
2.	राम निवास प्रशासनिक अधिकारी	टेलीफैक्स - 011- 24365089 011-24364119	9650216756 7860681703	admoffrchti-dol@nic.in
3.	सुश्री पूनम ओसवाल संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि) एवं (टंकण पत्राचार)	011-23018196 फैक्स- 011- 23018740	8743969027 8595231565	jdchti-ts-dol@gov.in chti1037@nic.in
4.	श्री बंकट लाल शर्मा उप निदेशक (भाषा)	011-24364119	9998983445	chti1153@nic.in
5.	श्री एम॰पी॰ दामोदरन उप निदेशक (भाषा), कार्यशाला एकक	011-23793721	9448721076	chti1155@nic.in
6.	श्री जयबीर उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)	011-23018196 फैक्स- 011- 23018740	9810125750	ddtc-chti-dol@nic.in chti1044@nic.in
7.	श्री नरेन्द्र कुमार प्रसाद सहायक निदेशक (टंकण/आश्लिपि)	011-24366821 011-24364119	9910710827	adratschti-dol@nic.in
8.	श्री संतोष कुमार सहायक निदेशक (भाषा/लेखा)	011-24364120	9433108797	chti1228@nic.in

#### हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लेवल-6,ईस्ट ब्लॉक-7, सेक्टर-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066

क्रम	नाम व पदनाम	दूरभाष	दूरभाष/मोबाईल	ई-मेल आई डी
सं॰		कार्यालय	निवास	
1	डॉ₊ शोभा रानी,	011-26175246	9711204075	ddhts-nc-dol@nic.in
	संयुक्त निदेशक (भाषा)	फैक्स -011-		
		26191572		
2	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह,	011-26175246	9560213089	chti1148@nic.in
	उप निदेशक	फैक्स -011-		
		26191572		
3	श्री राकेश कुमार वर्मा	011-26173775	9654548746	ddts-hts-nc-dol@nic.in
	उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)			

#### हिंदी शिक्षण योजना (पश्चिम)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय सदन, सी-विंग,छठा तल,

सेक्टर-10,सी.बी.डी, बेलाप्र, नवीं मुंबई-400614

क्रम	नाम व पदनाम	दूरभाष कार्यालय	दूरभाष/मोबाईल	ई-मेल आई डी
सं॰			निवास	
1	डॉ॰ राकेश कुमार पाराशर,	9522-27565416	9960487825	ddhts-west-dol@nic.in
	उप निदेशक	फैक्स -9522-		
		27565417		
2_	श्रीमती बिंदू बी॰,	9522-27565416	9042109270	chti1156@nic.in
	उप निदेशक	फैक्स -9522-		
		27565417		

### हिंदी शिक्षण योजना (पश्चिम)

हिंदी शिक्षण योजना/ केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय,

केंद्रीय सदन, ए-विंग, 5वीं मंजिल, कोरमंगला दूसरा ब्लॉक, बेंगलूरु-560034

क्रम सं॰	नाम व पदनाम	दूरभाष कार्यालय	दूरभाष/मोबाईल निवास	ई-मेल आई डी
1	डॉ॰ राधिका देवी डी॰, उप निदेशक	080-25537087	9446496734	chti1154@nic.in

#### हिंदी शिक्षण योजना (पूर्व)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 234/4,निजाम पैलेस परिसर, 18वां तल,

आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड,कोलकाता-700020

क्रम	नाम व पदनाम	दूरभाष कार्यालय	दूरभाष/मोबाईल	ई-मेल आई डी
सं॰			निवास	
1	श्री सुनील कुमार लोका, उप निदेशक	033-22870793 फैक्स-033- 22874053	9444888566	ddhts-east-dol@nic.in
2	श्री जितेन्द्र प्रसाद, उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)	033-22874053	8910037609	chti1048@nic.in

#### हिंदी शिक्षण योजना (दक्षिण)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ई विंग, सी ब्लाक, राजाजी भवन,

द्वितीय तल, बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090

क्रम	नाम व पदनाम	दूरभाष कार्यालय	दूरभाष/मोबाईल	ई-मेल आई डी
सं॰			निवास	
1	श्रीमती चित्रा कृष्णन, उप निदेशक	044-24919096 फैक्स -044- 24915466	9444465900	ddhts-south-dol@nic.in
2	श्री रणवीर सिंह उप निदेशक	044-24919096 फेक्स -044- 24915466	9884128203	chti1134@nic.in

#### हिंदी शिक्षण योजना (पूर्वोत्तर)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.एफ. रेलवे मुख्यालय परिसर, मालीगांव, ग्वाहाटी-781011

क्रम सं॰	नाम व पदनाम	दूरभाष कार्यालय	दूरभाष/मोबाईल निवास	ई-मेल आई डी
1	श्री कोमल सिंह, उप निदेशक	0361-2675661 फैक्स -0361- 2676879	9444770422	ddhts-ne-dol@nic.in chti1143@nic.in

#### हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,

लेवल-6,ईस्ट ब्लॉक-7, सेक्टर-1,आर.के.प्रम, नई दिल्ली-110066

क्रम सं॰	नाम व पदनाम	दूरभाष कार्यालय	दूरभाष/मोबाईल निवास	ई-मेल आई डी
1	श्रीमती कमलेश बजाज, उप निदेशक	011-26175176 फैक्स -011- 26162093	9868833938	ddhts-exam-dol@nic.in

#### नागरिक/ग्राहक चार्टर

#### सेवा मानक

शिकायतों को उच्च स्तर तक ले जाना ।

यदि शिकायत का अंतिम रूप से निवारण नहीं किया जाता है तो मामला उच्चतम स्तर पर निम्नलिखित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तृत किया जा सकता है :-

निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार सातवाँ तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110003 दूरभाष-011-24361852 फैक्स-011-24361852

E-mail: dirchti-dol@nic.in

### सेवा मांगकर्ताओं/स्टेक होल्डरों से निर्देशात्मक अपेक्षाएं

- स्पष्टीकरणों/ सुझाओं से संबंधित अनुरोध को इसमें उल्लिखित रीति से प्रस्तुत किया जाए।
- शिकायतें सभी संगत दस्तावेजों तथा दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, सिहत विस्तृत सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ प्रस्त्त की जाए।
- सेवा मांगकर्ता/स्टेक होल्डर अपना पूरा पता, संपर्क न., ई- मेल पता तथा फैक्स न. दें।

- नागरिक/ग्राहक चार्टर में दी गई सेवा (सेवाओं) से संबंधित शिकायतें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएएमएस) के पोर्टल http://pgportal.gov.in पर ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती है।
- चार्टर की अगली समीक्षा का माह एवं वर्ष- जुलाई, 2022 है।